47 (4) लोक उद्यमों में अंशकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी.ई.एस.बी.) के गठन से संबंधित भारत सरकार वित्त मंत्रालय लोक उद्यम ब्यूरो के तारीख 30 अगस्त 1974 के संकल्प सं. 5/1/74 बी.पी.ई. (पी.ई.एस.बी.) का हवाला देने का निदेश हुआ है। इस संकल्प में पूर्णकालिक कार्यकारी प्रकार्यात्मक कार्य निदेशकों के साथ–साथ अंशकालिक अध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस संकल्प में यह विचार व्यक्त किया गया है कि उपयुक्त सभी नियुक्तियों के लिए पी.ई.एस.बी. से उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

2. लोक उद्यमों के अंशकालिक अध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया की समीक्षा की जा चुकी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सामान्यतया तथा सरकार के तारीख 30 अगस्त, 1974 के संकल्प में बताए गए अनुसार अंशकालिक अध्यक्षों का चयन पी.ई.एस.बी. द्वारा किया जाना चाहिए, फिर भी प्रशासनिक मंत्रालय भी पूर्णकालिक अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित कर सकेंगे और पी.ई.एस.बी. द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर विचार किया जा सकेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां पद के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मंत्रालयों का यह विचार हो कि कोई विशिष्ट व्यक्ति ही अंशकालिक अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त है, तो उनके द्वारा चुने गए व्यक्ति को अंशकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के लिए मंत्रालयों को पी.ई.एस.बी. से विशेष छूट लेनी होगी और ऐसे मामलों में पी.ई.एस.बी. द्वारा चयन किएजाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

3. उद्योग मंत्रालय आदि भविष्य में अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शन के लिए सरकार के इस निर्णय को नोट कर लें।

(बी.पी.ई. का तारीख 26 नवम्बर, 1982 का का.ज्ञा.सं. 18(3)/82–जी एम II)